



REC Limited | आर ई सी लिमिटेड

(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई-4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा)

दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in

सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1/187(2)/2025/2374

दिनांक: 31 जुलाई, 2025

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड-REC LTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Scrip Code-REC LTD	Scrip Code-532955

विषय: आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" / "कंपनी") की 56वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के आयोजन की सूचना, समाचार पत्र में इसके प्रकाशन और भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो खोलने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि आरईसी की 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित की जाएगी।

इस संबंध में, कृपया कंपनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की सूचना और भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो खोलने के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की एक प्रति संलग्न प्राप्त करें, जो 31 जुलाई 2025 को 'बिजनेस स्टैंडर्ड' (अंग्रेजी) और 'बिजनेस स्टैंडर्ड' (हिंदी) संस्करणों में प्रकाशित हुई है।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,

Jyoti
Shubhra
Amitabh

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

संलग्न : ऊपरोक्त अनुसार

क्षेत्रीय कार्यालय: बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

राज्य कार्यालय: वडोदरा, वाराणसी

प्रशिक्षण केंद्र: आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद



आरईसी
REC

आरईसी लिमिटेड | REC Limited

(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
Regd. Office : Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi 110003
Corporate Office : Plot No. I-4, Sector-29 Gurugram - 122001 (Haryana)
Tel: +91 124 4441300, | Website: www.recindia.nic.in
Email: complianceofficer@recindia.com | CIN: L40101DL1969GOI005095

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 56वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए आरईसी लिमिटेड की 56वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित की जाएगी। सामान्य परिपत्र दिनांक 19 सितंबर, 2024, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों और परिपत्र दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 एवं सेबी द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी निर्धारित स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन करने के लिए आयोजित की जाएगी।

सभी सदस्य कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में 56वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल कंपनी या संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.recindia.nic.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 24 अगस्त, 2025 (9:00 पूर्वाह्न से) को शुरू होगी एवं मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 (सायं 5:00 बजे तक) को समाप्त होगी। एजीएम में भाग लेने के लिए विस्तृत निर्देश, डिमैटोरियलाइज्ड मोड, कागज के रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और उन शेयरधारकों के लिए जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, एजीएम की सूचना में बताए जाएंगे। 56वीं एजीएम में शेयरधारकों को सिर्फ वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से शामिल और भाग लेने का अवसर मिलेगा और एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय की मर्दाने पर अपना वोट डाल सकते हैं।

कागज के रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर या बैंक विवरण को पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, एनएसीएच सुविधा और अन्य विवरणों को कंपनी/आरटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के साथ अद्यतन करने का अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा, डिमैटोरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण (कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्राप्त करने के लिए) संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी ("डीपी") के साथ पंजीकृत करा लें।

लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक विवरण सहित केवाईसी पंजीकृत करने की प्रक्रिया

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश की अनुशंसा की थी, जो आगामी एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। सेबी ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल, 2024 से भौतिक सुरक्षा धारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद, यदि केवाईसी विवरण अर्थात् पैन, नामांकन का विकल्प, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर आदि सहित संपर्क विवरण, सदस्य के फोलियो पर उपलब्ध नहीं हैं तो लाभांश का भुगतान रोक दिया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत करें:

कागज के रूप में शेयर रखने वाले सदस्य	कंपनी के आरटीए अर्थात् अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (यूनिट: आरईसी लिमिटेड) 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, इंडेवाला नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, ईमेल: virenders@alankit.com , निर्धारित फॉर्म में कंपनी की वेबसाइट " www.recindia.nic.in/forms " और आरटीए की वेबसाइट " https://alankitassignments.com/investor-charter " पर उपलब्ध है।
डिमैटोरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य	डीपी के साथ, जहां डीमैट खाता डीपी द्वारा सूचित प्रक्रिया के अनुसार बनाए रखा जाता है।

सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी टिप्पणियों को और विशेषकर एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की प्रणाली या एजीएम में ई-वोटिंग संबंधित टिप्पणियों को ध्यान से पढ़ें।

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध को पुनः दर्ज करने के लिए स्पेशल विंडो

सेबी के 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र के अनुसार, 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक स्पेशल विंडो खोली गई है, जो केवल उन भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध को पुनः दर्ज करने के लिए है जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमियों या अन्य कारणों से अस्वीकार कर दिए गए, वापस कर दिए गए या उन पर ध्यान नहीं दिया गया। हस्तांतरण के लिए पुनः जमा किए गए शेयर, निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे। पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को प्रस्तुत करें।

कृते आरईसी लिमिटेड

ह/-

(जे.एस. अमिताभ)

दिनांक: 30 जुलाई, 2025

स्थान: गुरुग्राम

कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव